राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 184

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 12 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

डोप प्रतिबंध के बाद लौटे पृथ्वी शॉ ने जड़ा दोहरा शतक

>> 14

राज्यसभा की अग्निपरीक्षा में भी पास नागरिकता विधेयक

ऐतिहासिक दिन ▸ उच्च सदन में मैराथन बहस के बाद 105 के मुकाबले 125 मतों से पारित हुआ बिल, विधेयक पर विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज

गृह मंत्री शाह ने विपक्ष के सवालों की उड़ाईं धज्जियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में जबरदस्त सियासी गहमागहमी के बीच चर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक 125 के मुकाबले 105 मतों से पारित हो गया। इसी के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम छह समुदायों को भारत की नागरिकता देने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विधेयक पर हुई मैराथन चर्चा का जवाब देते हुए विपक्षी दलों पर नागरिकता बिल के नाम पर देश के मुसलमानों में भय और संशय पैदा करने का आरोप लगाया। उनका साफ कहना था कि यह विधेयक भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता छीनने नहीं बल्कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा है। गृह मंत्री ने यह भी दोहराया कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होता तो इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं होती।

राज्यसभा में करीब सात घंटे की चर्चा के बाद विपक्ष के दर्जनों संशोधनों और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया गया। राज्यसभा में विधेयक पर मतदान के दौरान शिवसेना ने सदन से बाहर रहकर इसमें हिस्सा नहीं लिया। सदन के कुल 240 में से 10 सदस्य अलग-अलग वजहों से अनुपस्थित रहे। सरकार और विपक्ष के बीच बिल को लेकर सदन में जमकर सियासी संग्राम हुआ। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रवर समिति में भेजने और अपने संशोधनों के लिए विपक्ष ने पांच बार सदन में मत विभाजन करा सरकार को वोटिंग के लिए बाध्य किया।

दिखा सियासी कौशल : विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संयम, आक्रामकता और सियासी कौशल का जबरदस्त मेल करते हुए विपक्षी दलों के सभी सवालों का जवाब दिया। विधेयक को मुस्लिम विरोधी बताने पर उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते वह सभी मुस्लिम भाई-बहनों से कह रहे हैं कि वे इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और उनकी नागरिकता का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार तथ्यों के साथ कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने सदन को बताया कि किस तरह 1947 की कांग्रेस कार्यसमिति में पाकिस्तान में प्रताड़ित सिखों और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी तरह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर 13 हजार सिखों और हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी। शाह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 2003 में बांग्लादेश से उत्पीड़न के शिकार होकर आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की संसद में बात कही थी। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के क्रम में कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को जब मोदी सरकार लागू कर रही है तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है?

नागरिकता बिल (विशेष) पेज>>5
गुमराह राजनीति (संपादकीय) पेज>>8

भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। खुशी है कि यह बिल राज्यसभा से पारित हो गया। मैं इसके पक्ष में मतदान करने वाले सभी सांसदों का आभारी हूं। यह बिल वर्षों से प्रताड़ना झेल रहे लोगों का दुख दूर करेगा। – **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आज भारत के संवैधानिक इतिहास में काला दिन है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित होना तुच्छ सोच वाली और कट्टर ताकतों की भारत के बहुलवाद पर जीत है। – **सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष**

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता बिल पर सवालों का जवाब देते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

शाह बोले, कानून और संविधान सम्मत है यह बिल

अमित शाह ने बिल को संविधान के अनुच्छेद 14 समेत तमाम प्रावधानों के खिलाफ बताने और सुप्रीम कोर्ट में इसके खारिज होने के विपक्षी दलों के तर्क को नकारा। कहा, बिल कानून व संविधान सम्मत है। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं करने पर कहा, समस्या विशेष के हल के लिए यह बिल लाया गया है। ऐसा पहले बांग्लादेश व युगांडा से आए भारतीय मूल के लोगों के लिए हो चुका है। ऐसे में जब श्रीलंका का मसला आएगा तो सरकार उसका समाधान करेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में यह भी कहा

- यह जल्दबाजी नहीं है। हम चाहते तो आपकी तरह सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन मोदी सरकार सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है। चुनाव साढ़े चार साल बाद है, इसके बावजूद हम लगातार काम कर रहे हैं।
- 1947 में बंटवारे के बाद एक प्रार्थना सभा में खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रह गए हिंदू और सिख चाहें तो आ सकते हैं और भारत को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- आप मुझे आइडिया ऑफ इंडिया मत सिखाइए। हम सात पुश्तों से यहीं हैं। यहीं जन्मे हैं और यहीं मरेंगे। जिनको सिखाना है उनको जाकर आइडिया ऑफ इंडिया सिखाइए।
- आपके दिए जख्मों के कारण भय की वजह से लोग खुद को खुलकर शरणार्थी नहीं बताते थे। संशोधन पास होने के एक साल बाद देखिएगा, निर्भीक होकर करोड़ लोग सामने आएंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे।
- शिवसेना किस तरह से रंग बदलती है। रातों-रात क्या हुआ कि सुर बदल गए। कल लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया और अब रुख अलग है।
- आपने विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन में प्रताड़ित यहूदी व पारसी शरणार्थियों को शरण देने का जिक्र करने की बात कही। यहूदी और पारसी की तरह पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण दे रहे हैं। फिर विरोध क्यों है।
- सावरकर के एक भाषण से देश का बंटवारा हुआ या नहीं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन्ना बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। सवाल यह है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार क्यों किया।
- विपक्षी नेताओं को शरणार्थियों की चीख नहीं सुनाई देती। मोदी सरकार अंधी और बहरी नहीं है। इसीलिए हमें उनकी चीख सुनाई देती है।

पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के नेता

अमित शाह ने कहा कि यह संयोग है या कुछ और मगर सच्चाई यह है कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी दिखती है। पाकिस्तान के पीएम का बयान और कांग्रेस के एक नेता का सदन में बयान बिल्कुल एक जैसा है। सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 के समय भी इन दोनों के बयान इसी तरह एक समान थे। गृह मंत्री के इस आरोप का कांग्रेस सदस्यों ने जोरदार विरोध करते हुए हंगामा भी किया। हालांकि इसके बावजूद गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौते का पड़ोसी देश पालन करता, तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ यह बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों पर भयंकर अत्याचार हुए हैं और इन समुदायों को नागरिकता देना भारत का कर्तव्य है।

सरोकार

बस एक 'सुपर फूड' चॉकलेट खाओ, लंच भूल जाओ

पालमपुर : हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने रागी, ज्वार, बाजरा, मक्की, भूरे चावल, शहद, स्टीविया व गुड़ से चॉकलेट तैयार की है। इसे खाने के बाद चार घंटे तक भूख नहीं लगेगी। कीमत है 40 रुपये। यह चॉकलेट आपकी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगी। (पेज-10)

जागरण विशेष

सूखा या बाढ़ में भी ले सकेंगे सब्जी की किफायती पैदावार

भागलपुर : सूखे और बाढ़ से जूझने वाले क्षेत्रों के कम जोत वाले किसान और पशुपालक कम लागत, कम पानी, बिना जमीन और मिट्टी के भी सब्जी चारा का उत्पादन कर सकें, इसके लिए बिहार कृषि विवि पॉली हाउस आधारित सस्ती और कारगर कृषि तकनीक सुलभ कराने पर काम कर रहा है। (पेज-10)

डाटा प्रोटेक्शन बिल संयुक्त संसदीय समिति के हवाले

नई दिल्ली : देश के नागरिकों के निजी डाटा के चोरी होने या गलत इस्तेमाल की विपक्ष की आशंकाओं के बीच डाटा प्रोटेक्शन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। सरकार ने स्वयं ही इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से लोस में प्रस्ताव पेश किया गया। (पेज-3)

विश्वास News

दो हजार के नोट बंद होने की जानिए असलियत

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

असम-त्रिपुरा में कैब के विरोध में हिंसा-आगजनी

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बुधवार को गुवाहाटी में हिंसक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रेट्र

- असम के गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ में वेमियादी कर्फ्यू, चार जिलों में सेना तैनात
- पूरे त्रिपुरा में असम राइफल्स की तैनाती, एक के मरने की खबर

गुवाहाटी, एजेंसियां : पूर्वोत्तर के राज्यों असम और त्रिपुरा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध तेज हो गया है। दोनों ही राज्यों में जमकर आगजनी और हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा और आगजनी के चलते सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। लिहाजा असम के शहर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और चार जिलों में सेना तैनात कर दी गई। त्रिपुरा में भी सेना के नियंत्रण वाले अर्धसैनिक बल असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया है। राज्य में एक प्रदर्शनकारी के मारे जाने की बात भी कही जा रही है।

पूर्वोत्तर का सेना मुख्यालय पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। हालांकि, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने दावा किया है कि ज्वाइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन वापस ले लिया है। सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल पी. खोंगसई ने बताया कि गुवाहाटी शहर में सेना की दो टुकड़ियां तैनात की गई हैं और वे शहर में फ्लैग मार्च कर रही हैं। तिनसुकिया, जोरहट और डिब्रूगढ़ जिलों में भी सेना तैनात की गई है।

इंटरनेट सेवा निलंबित : असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने बताया कि राज्य के 10 जिलों में बुधवार शाम से इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं कर सकें। ये जिले हैं- लखीमपुर, धीमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चरायदेव, शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप। जबकि पूरे त्रिपुरा में मंगलवार से ही 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित है। त्रिपुरा सरकार ने एक आदेश जारी एसएमएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शनकारी : बुधवार को हजारों कैब विरोधी प्रदर्शनकारी असम की सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर उनका पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। असम के छात्र आंदोलन के बाद राज्य में पहली बार इस तरह के हालात बने हैं। गुवाहाटी में कर्फ्यू की अवहेलना करके प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं और शहर की ज्यादातर सड़कों को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है।

दो रेलवे स्टेशनों को लगाई आग पेज>>5

गुजरात दंगों के आरोपों से बरी हुए मोदी-शाह

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- नानावटी-मेहता आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश
- कहा, दंगों की साजिश नहीं हुई थी और न ही इसमें सरकार की भूमिका थी

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगा मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह को नानावटी आयोग ने क्लीन चिट दी है। आयोग ने कहा, दंगों की साजिश नहीं रची गई थी और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, जबकि गोधरा कांड को साजिश के तहत अंजाम दिया गया था।

गोधरा कांड और गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित पूर्व न्यायाधीश जीटी नानावटी और पूर्व न्यायाधीश अक्षय मेहता ने अपनी ढाई हजार पेज की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा राज्य के तीन पूर्व मंत्रियों दिवंगत हरेन पंड्या, दिवंगत अशोक भट्ट और भरत बारोट को भी आरोप मुक्त कर दिया है। करीब 12 साल तक चली जांच के बाद आयोग ने 18 नवंबर, 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल को फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी जिसे बुधवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा।

तीन आइपीएस अधिकारियों की भूमिका नकारात्मक : रिपोर्ट में तीन आइपीएस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट की भूमिका को नकारात्मक बताया गया है। गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगा मामलों की जांच के बाद आयोग ने साफ कर दिया है कि मोदी, उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य, पुलिस और प्रशासन की दंगे में कोई संलिप्तता नहीं थी। मोदी पर दंगाइयों को खुली छूट देने के आरोप भी बेबुनियाद साबित हुए। आइपीएस संजीव भट्ट ने ऐसे दावे किए थे, लेकिन उसके पक्ष में दिया गया फैक्स भी फर्जी निकला।

आयोग की नसीहत, उकसावे में न आएं गरीब और अनपढ़ पेज>>3

44,445 शपथ पत्रों के आधार पर नौ खंडों में 2,500 पेज की रिपोर्ट।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- दंगों के बाद कांग्रेस, कई एनजीओ और विदेशी संस्थाओं ने मोदी की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया। इनमें तीस्ता सीतलवाड़ का नाम प्रमुख है
- दंगों की जांच खुफिया ब्यूरो (आइबी) के पूर्व निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता में बनी एसआइटी ने की
- हाई कोर्ट ने 2017 में 11 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी थी।
- पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की मदद के लिए भेजा गया था पुलिस बल
- दंगाइयों को खुली छूट देने के सीएम के निर्देश की बात कोरी अफवाह
- आयोग ने 25 सितंबर, 2009 को सौंपी थी गोधरा कांड पर पहली रिपोर्ट

माता-पिता का ध्यान नहीं रखा तो अब काटनी होगी जेल

नई दिल्ली : लोकसभा में बुधवार को 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक-2019' पेश किया गया। इसमें माता-पिता या अपने संरक्षण वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार करने या उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देने वालों के लिए छह महीने के कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। (पेज-3)

पहले इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा में भरी उड़ान

वैंकूवर : दुनिया के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने मंगलवार को कनाडा के वैंकूवर शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। विमान में छह यात्री सवार थे। लगभग 15 मिनट से कम समय तक यह विमान हवा में रहा। 62 साल पुराने डीएचसी-2 दि हावीलैंड बीवर विमान में 750 हॉर्सपॉवर की इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर इसका परीक्षण किया गया। (पेज-16)

अयोध्या पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा विचार

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विचार करेगा। कोर्ट तय करेगा कि याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है कि नहीं। कुल 18 याचिकाएं गुरुवार की सूची में सुनवाई के लिए लगी हैं। इस बीच बुधवार को निर्मोही अखाड़ा ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट से कुछ पहलुओं पर फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। (पेज-7)

रक्षा उपग्रह की लांचिंग के साथ पीएसएलवी का अर्धशतक

श्रीहरिकोटा : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को दोहरी उपलब्धि हासिल की। इसरो के सबसे कामकाजी कहे जाने वाले रॉकेट पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) ने एक महत्वपूर्ण रक्ष उपग्रह की लांचिंग के साथ अपनी 50वीं उड़ान पूरी कर ली है। इस दौरान पीएसएलवी ने नौ विदेशी सेटेलाइट को भी कक्षा में स्थापित किया। (पेज-16)

विमान सुरक्षा खतरे में डालने पर एक करोड़ जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने अथवा विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्तियों पर सजा के अलावा दस लाख के मौजूदा जुर्माने को बढ़ाकर एक करोड़ करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल में एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के नियम-कायदों को एक्ट के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन से इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन आइसीएओ की सुरक्षा संबंधी शर्तें भी पूरी होंगी। इससे भारत के तीनों विमानन नियामकों-उड्डयन महानिदेशालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तथा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के वित्तपोषण के तौर-तरीकों में बदलाव की भी अनुमति दे दी है। इसके तहत केंद्र और दिल्ली सरकार फेज-4 के तीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की लागत में भी 50:50 फीसद हिस्सेदारी निभाएंगी। इन कॉरिडोर में एरोसिटी-तुगलकाबाद, आरके आश्रम-जनकपुरी (पश्चिम) तथा मुकुंदपुर-मौजपुर के कॉरिडोर शामिल हैं।

ये कदम मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 में संशोधन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केवल दिल्ली के लिए उठाया है। इसके परिणामस्वरूप 24,948.65 करोड़ की कुल लागत वाले चौथे चरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केंद्र का योगदान 4,154.20 से बढ़कर 4,643.63 करोड़ हो जाएगा।

कैबिनेट ने एनएचएआइ को इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन की अनुमति भी दे दी है। इससे एनएचएआइ को पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं के मौद्रीकरण में सुविधा होगी जो कम से कम एक साल से टोल संग्रह कर रही हों। कैबिनेट ने ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा के समझौते को भी मंजूरी दी है। इससे दोनों देशों में काम कर रहे कर्मियों को दोहरे कराधान व आव्रजन से छूट दी जाएगी। साथ ही इस्पात (स्टील) के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए समझौते तथा चिकित्सा उत्पादों के नियमन को लेकर सऊदी अरब से हुए समझौते को भी हरी झंडी दे दी है।

कैबिनेट के फैसले

- दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में केंद्र सरकार का योगदान बढ़ेगा

वीआइपी सिंड्रोम

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम से निपटने को संसदीय समिति का सुझाव, पार्किंग स्पेस व पुरानी गाड़ी को डिस्पोज किए बिना वाहन पंजीयन न करने का सुझाव

माननीयों को लुटियन जोन में भी चाहिए अपने लिए अलग लेन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भले ही देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक लेन ड्राइविंग सुनिश्चित न हो पाई हो, लेकिन माननीय लुटियन जोन में भी अपने लिए अलग लेन चाहते हैं। संसदीय समिति का मानना है कि दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए गणमान्य लोगों (वीआइपी) के लिए अलग लेन होनी चाहिए। संसदीय समिति के मार्फत ये सुझाव दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने दुपहिया वाहन चालकों के लिए भी अलग लेन की सिफारिश की है। उन्होंने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि दो या तीन लेन की सड़कों पर दो लेन आरक्षित होने पर बाकी चालकों के लिए कितनी जगह बचेगी।

समिति की चिंता इस बात पर है कि वीआइपी के लिए लुटियन जोन तो बना दिया गया है, परंतु उनके सुरक्षित आवागमन के लिए अलग लेन का प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए गृह मंत्रालय को इमरजेंसी वाहनों की तरह वीआइपी वाहनों के लिए अलग लेन पर विचार करना चाहिए।

कांग्रेस के आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय की इस समिति में 31 संसद सदस्य हैं। समिति ने बुधवार को संसद के दोनो सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की है। समिति ने दिल्ली में वाहनों की बढ़ती संख्या पर चिंता प्रकट करते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए क्रांतिकारी कदमों का सुझाव दिया है। इनमें वीआइपी और दुपहिया वाहनों के लिए अलग लेन के अलावा बिना पार्किंग स्पेस वाले घरों के लोगों, बिना पुराने वाहन को डिस्पोज किए बगैर नया वाहन खरीदने वालों के वाहनों का पंजीकरण न करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक इंश्योरेंस प्रीमियम वसूलने जैसे सुझाव शामिल हैं।

एनसीआर से पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन हटाने की सिफारिश पेज>>3

दिल्ली-एनसीआर में यातायात समस्या के विविध पहलू

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यातायात जाम के कई अन्य पहलू और कारण उजागर किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

यातायात घनत्व वाले 7 स्थान : कनाट प्लेस, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, करोल बाग, कमला नगर मार्केट और कृष्णा नगर

ऑड-इवेन पर सवाल : दिल्ली में दो बार लागू की जा चुकी ऑड-ईवेन स्कीम की सफलता पर सवाल उठाते हुए समिति ने इसके प्रभाव का शीघ्रातिशीघ्र अध्ययन कराने को कहा है।

दिव्यांगों को असुविधा : समिति ने सड़क, फुटपाथ, बस स्टॉप और बसों आदि में उपयुक्त इंतजाम न होने से दिव्यांगों को आवागमन में होने वाली असुविधा का उल्लेख किया।

मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन : दिल्ली में वाहन स्वामियों के मोबाइल नंबरों का वेरीफिकेशन पूरा न होने पर चिंता प्रकट करते हुए समिति ने दिल्ली परिवहन विभाग से बाकी 28 लाख मोबाइल नंबरों का वेरीफिकेशन कराने को कहा है। अभी तक 78 लाख नंबर वेरीफाई हो चुके हैं।

डेडीकेटेड पार्किंग स्थल : समिति ने अदालतों, अस्पतालों, कमर्शियल कांप्लेक्सों आदि के निकट डेडीकेटेड पार्किंग स्पेस सृजित करने को कहा है।

बढ़ते वाहन, सिकुड़ती सड़कें : समिति के अनुसार दिल्ली में इस समय 112 लाख वाहन पंजीकृत हैं। जो देश के कुल वाहनों का 12.5 फीसद है। रोजाना 1700 वाहन और बढ़ जाते हैं। वर्ष 1901 में दिल्ली की जनसंख्या 4 लाख थी जो अब बढ़कर 192 लाख हो गई है। वर्ष 2025 तक इसके बढ़कर 225 लाख हो जाने की संभावना है। वाहन और जनसंख्या के मुताबिक सड़कों का विस्तार नहीं हुआ है।

आतंकी फंडिंग में हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान में आरोप तय

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मामले में आरोप तय किए।

जस्टिस अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंक के वित्तपोषण को लेकर 23 एफआइआर दर्ज की थीं। इसके बाद सईद की गिरफ्तारी की गई थी। फिलहाल वह कोट लखपत जेल में बंद है। लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान शहरों में ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के नाम पर आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन इकट्ठा किया गया। इसमें अल-अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबल ट्रस्ट शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर, जेयूडी और उसकी चैरिटी शाखा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए इन ट्रस्टों का इस्तेमाल किया गया है। सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा का सबसे प्रमुख संगठन है। यह आतंकी संगठन 2008 के मुंबई हमलों के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमे 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

हाफिज सईद (फाइल) प्रेट्र

पंजाब पुलिस ने आतंकी फंडिंग में 23 एफआइआर दर्ज की थीं